कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

(अनूपशहर रोड कासिमपुर मोड़, छेरत, अलीगढ़, पिन–202122, दूरभाष–0571–2960088)

पत्रांक 790 /14–1 अलीगढ, दिनाँक, अगस्तः 29 ,2023

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम–1980,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– **कार्पोपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़–मथुरा रोड (एन0एच0–80) किमी0 05 दायीं पटरी खसरा सं0–30 ग्राम–दौलतादाबाद, तहसील–कोल, जनपद–अलीगढ़ में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.07595 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना पातन के गैर वानिकी प्रयोग के अनुमति के सम्बन्ध में। (ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Others/26736/2017)**

सन्दर्भः– उप सचिव उ0प्र0 उ0प्र0 शासन की शासकीय पत्र संख्या–2130/81–2–2023–800(144)/2019 दिनांक 04.08.2023 व आपका पत्रांक–332/11–सी–FP/UP/Others/26736/2017 दिनांक 07.08.2023 तथा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ का पत्रॉक–707/14–10 दिनांक 21.08.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में उ0प्र0 उ0प्र0 शासन के संदर्भित शासकीय पत्र पत्र से लगायी गयी आपत्ति का निराकरण कर, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ के पत्रॉक–707/14–10 दिनांक 21.08.2023 से आख्या/सूचना संलग्न कर संस्तुति उपलब्ध करायी गयी है, जो कि निम्नवत संस्तुति सहित ऑनलाइन संलग्न कर प्रेषित है–

क्र0सं0	आपत्ति	उत्तर
1	उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–4098/11–सी–एफ.सी./यू.पी./अदर्स/26736/ 2017 दिनांक 30.06.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 के उल्लंघन के लिये तत्कालीन अपर जिलाधिकारी दोषी नहीं पाये गये हैं क्योंकि उनके द्वारा केवल रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु एन0ओ0सी0 दी गयी थी। इससे विदित होता है कि प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में रिटले आउटलेट जिसके पक्ष में स्वीकृत किया गया है, उसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है। कृपया विषयगत प्रस्ताव में हुए उल्लंघन हेतु दोषी एजेन्सी/व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर कृत कार्यवाही की सुस्पष्ट आख्या अपनी संस्तुति सहित शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।	इस सम्बन्ध में प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ द्वारा उल्लेख किया गया है कि प्रकरण में भारत सरकार के पूर्वानुमति के बिना रिटेल आउटलेट की स्थापना कराये जाने के फलस्वरूप दोषी एजेन्सी/व्यक्ति के विरूद्ध रेंज केस संख्या–23/अलीगढ़/17–18 दिनांक 07.09.2017 द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–32/33 के तहत् एच–2 केस निर्गत किया गया। विषयक निर्गत एच–2 केस को मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ को प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अर्थ दण्ड के साथ दण्डित करते हुए केस को निस्तारित किया गया है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 के बिन्दु सं0–बी(3) में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के विषय में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निम्न प्रकार कार्यवाही प्रस्तावित/पूर्ण गयी हैः– 1. प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ द्वारा उपलब्ध कराई गई वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के विषय में 04 बिन्दुओं की बिन्दुवार आख्या का उल्लंघन प्रस्ताव की छाया प्रति संलग्न। 2. प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ द्वारा उपलब्ध कराई गई भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 32/33 के तहत् जारी वन अपराध केस की प्रति संलग्न है। 3. प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ द्वारा उपलब्ध कराई गई निर्गत प्रकरण में प्रयोक्ता एजेन्सी के विरूद्ध निर्गत वन अपराध को मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निस्तारण एवं निर्धारित दण्ड जमा किये जाने का साक्ष्य की प्रति संलग्न है। 4. प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ द्वारा उपलब्ध कराई गई भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी से वसूल किये जाने वाली दण्डात्मक एन.पी.वी. की गणना शीट की प्रति संलग्न है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(राकेश चन्द्रा)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक /14–1 दिनांकित।

1. **प्रतिलिपि**–प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रेषित।
2. **प्रतिलिपि**–प्रबन्धक (रिटेल सेल्स), इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि0 (एम0डी0), मुरादाबाद मंडल कार्यालय, कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड़, एन0एच0–24, पोस्ट पकवाड़ा, मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

(राकेश चन्द्रा)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक 707 /14–10, अलीगढः दिनांकः अगस्त, 21 ,2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषयः– **कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़–मथुरा रोड़ (एन0एच0–80) किमी0 05 दांयी पटरी खसरा सं0–30 ग्राम दौलताबाद, तहसील–कोल, जनपद–अलीगढ़ में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.07595 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग के अनुमति के सम्बन्ध में।**

संदर्भ– उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक–2130/81–2–2023–800(144)/2019 दिनांक 07.08.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक–332/11सी–FP/UP/Others /26736/2017 दिनांक 07.08.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में उ0प्र0 शासन के संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयीं आपत्तियों एवं आपके संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का समेकित रूप से निम्न प्रकार निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेख/सूचना 04 प्रतियों में संलग्न कर संस्तुति सहित प्रेषित है–

क्र.सं.	आपत्ति	उत्तर
1.	उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–4098/11सी–एफपी/यूपी /अदर्स/26736/2017 दिनांक 30.06.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।' इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के लिए तत्कालीन अपर जिलाधिकारी दोषी नहीं पाये गये हैं क्योंकि उनके द्वारा केवल रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु एन.ओ.सी. दी गयी थी। इससे यह विदित होता है कि प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु सरंक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में रिटेल आउटलेट जिसके पक्ष में स्वीकृत किया गया है, उसके द्वारा	भारत सरकार के पूर्वानुमति के बिना रिटेल आउटलेट की स्थापना कराये जाने के फलस्वरूप दोषी एजेन्सी/व्यक्ति के विरुद्ध रेंज केस सं0 23/अलीगढ़/17–18 दिनांक 07.09.2017 द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–32/33 के तहत एच0–2 केस निर्गत किया गया। विषयक निर्गत एच0–2 केस को मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ को प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अर्थ दण्ड के साथ दण्डित करते हुए, केस को निस्तारित किया गया है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 के बिन्दु सं0 बी(3) में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के विषय में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निम्न प्रकार कार्यवाही प्रस्तावित/पूर्ण गयी है– 1. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के विषय में 04 बिन्दुओं की बिन्दुवार आख्या का उल्लंघन प्रस्ताव की छायाप्रति। (संलग्नक–1) 2. भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 32/33 के तहत जारी वन अपराध केस की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

	वन (सरंक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया गया है। कृपया विषयगत प्रस्ताव में हुए उल्लंघन हेतु दोषी एजेन्सी/व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर कृत कार्यवाही की सुस्पष्ट आख्या अपनी संस्तुति सहित शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।	(संलग्नक–2) 3. निर्गत प्रकरण में प्रयोक्ता एजेंसी के विरूद्ध निर्गत वन अपराध को मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निस्तारण एवं निर्धारित दण्ड जमा किये जाने का साक्ष्य। (संलग्नक–3) • भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से वसूल किये जाने वाली दण्डात्मक एन.पी.वी. की गणना शीट संलग्न है। (संलग्नक–4)

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

21/08/23

(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक 207/14–10 समदिनांकित।

प्रतिलिपि–प्रबन्धक (रिटेल सेल्स), इण्डियन ऑयल कार्पो0 लिमिटेड, मुरादाबाद मण्डल कार्यालय, ख्वाजा फिलिंग स्टेशन के पीछे, एन0एच0–24, पकवाड़ा, मुरादाबाद–244102। को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

21/08/23

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

संलग्नक-1

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत प्रस्तावित इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा अलीगढ़–मथुरा मार्ग (एस0एच0–80) किमी0 05 दांयी पटरी पर ग्राम दौलताबाद के खसरा सं0 30 हेतु प्रस्तावित 0.07595 है0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु बिना सक्षम स्तर से विधिवत् स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग किये जाने से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन से सम्बन्धित 04 बिन्दुओं की रिपोर्ट।

इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा अलीगढ़–मथुरा मार्ग (एस0एच0–80) किमी0 05 दांयी पटरी पर ग्राम दौलताबाद के खसरा सं0 30 हेतु प्रस्तावित 0.07595 है0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धित वनभूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव Proposal No. : **FP/UP/Others/26736/2017** प्रकिया पूर्ण करने से पूर्व गैर वानिकी प्रयोग कर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में 4 बिन्दुओं पर रिपोर्ट निम्न प्रकार प्रेषित है।

(1) स्थल का विवरण, भूमि का क्षेत्रफल, स्थल का विवरण, मानचित्र, अवैध रूप से पातन किये गये वृक्षों/वनस्पतियों का विवरणः–

(A) **स्थल का विवरण–** अलीगढ़–मथुरा मार्ग (एस0एच0–80) किमी0 05 दांयी पटरी पर ग्राम दौलताबाद के खसरा सं0 30, तहसील–कोल, जनपद–अलीगढ़।

(B) **भूमि का क्षेत्रफल–** 0.07595

(C) **मानचित्र–** प्रस्तावित स्थल का मानचित्र प्रस्ताव के साथ पूर्व से ही संलग्न है।

(D) **अवैध रूप से पातन किये गये वृक्षों/वनस्पतियों का विवरण–** प्रकरण में कोई भी वृक्ष बाधक नहीं था। अतः अवैध रूप से पातन किये गये वृक्षों/वनस्पतियों की संख्या शून्य है।

2. रिपोर्टः– एक स्पष्ट पूर्ण टिप्पणी में वर्णित की जायेगी और उसकी पुष्टि में यह दस्तावेज भेजे जायेगें जिनमें खासकर उन अधिकारियों के नाम व पद नाम होगें जो प्रथम दृष्टया अधिनियम के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी हैं।

कार्यदायी संस्था द्वारा अपने संस्था के रिटेल आउटलेट हेतु अलीगढ़–मथुरा मार्ग (एस0एच0–80) किमी0 05 दांयी पटरी पर ग्राम दौलताबाद के खसरा सं0 30 पर सम्पर्क मार्ग का बिना भारत सरकार की अनुमति के किये जाने के फलस्वरूप मौका निरीक्षण कर, अलीगढ़ रेंज द्वारा केस सं0 23/अलीगढ़/17–18 दि0 07.09.2017 जारी कर विधिक कार्यवाही की गयी। अतः प्रकरण में निम्न अधिकारी प्रथम दृष्टया दोषी हैं।

1. श्री राजीव टण्डन – प्रबन्धक (रिटेल सेल्स), इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0 (एम0डी0), मुरादाबाद मण्डल कार्यालय, कोल्ड स्टोरेज के सामने, दिल्ली रोड़, एन0एच0 24, पोस्ट पकवाड़ा, मुरादाबाद।

3. वन संरक्षण अधिनियम–1980 के उल्लंघन के रोकने के लिए सम्बन्धित प्रभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उठाये गये कदम का विवरण–

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग का निर्माण बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त कर, किये जाने के कारण, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन किये जाने पर अलीगढ़ रेंज द्वारा एच0 2 केस सं0 23/अलीगढ़ /17–18 दि0 07.09.2017 द्वारा केस इजरा किया गया है। प्रवेश मार्ग व निकास मार्ग पर संरक्षित वन भूमि 0.07595 हे0 पर पक्का मार्ग निर्माण कर कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा एप्रोच रोड का प्रयोग आवागमन हेतु किया जा रहा है। प्रश्नगत प्रकरण में निर्गत एच0–2 केस सं0 23/अलीगढ़/17–18 दि0 07.09.2017 को मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ को प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अर्थ दण्ड के साथ दण्डित करते हुए, केस को निस्तारित किया गया है।

4. **यदि किसी भूल–चूक जिसके कारण अधिनियम का उल्लंघन हुआ है और उत्तरदायित्व निर्धारित कर पाना सम्भव न हो तो सम्बन्धित कागजातों सहित एक पूर्ण स्पष्टीकरण रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जायेगी–**

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्ष 2017 में प्रेषित किया गया। प्रेषित प्रस्ताव पर प्रयोक्ता अभिकरण के साथ प्रस्तावित स्थल का संयुक्त निरीक्षण कर, उचित कार्यवाही करने हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी, अलीगढ़ रेंज को निर्देशित किया गया। प्रस्तावित स्थल के निरीक्षण में भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग निर्माण कर, संचालित होना पाया गया। जोकि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन है। उल्लंघन पाये जाने पर कार्यवाही स्वरूप प्रयोक्ता एजेंसी के विरूद्ध एच02 केस इजरा किया गया। इस सम्बन्ध में पुष्टि हेतु तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 30.08.2019 द्वारा प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया गया एवं पाया गया कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये ही, रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग का निर्माण कर, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों का उल्लंघन पाया गया। चूंकि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया परंतु उस पर कोई कार्यवाही नही की गयी। इसीलिए स्पष्ट है, कि प्रयोक्ता एजेंसी को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी थी। अतः प्रकरण में किसी भी प्रकार की भूल–चूल होने की सम्भावना नगण्य है।

21/08/23

(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

राजिवाद सं० ......[illegible] ...... [illegible] 203 ...... [illegible]

संलग्नक-1

प्रभागीय बाद सं० 103/वृ०भू०क्षे०/17-18

13142

वन विभाग उ०प्र० परिधि (सर्किल) वृज भूमि क्षेत्र, आगरा खण्ड (डिवीजन) अलीगढ़

भा.व.अ. 1927 की धारा 32(g), 32(k), 32(l)

अन्य अपराध 33(c), 33(1H) प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० .... दिनांक 7.9.2017 अधिक्षेत्र राजि अलीगढ़

एवं व.सं.अ. 1980 की धारा 2

1– नाम, पिता का नाम और निवास–स्थान — M/s [illegible] अलीगढ़-[illegible] मार्ग (N.M.5) R.U. [illegible]; [illegible]; [illegible] 30

2– साक्षी का नाम — श्री आशीषकुमार, वनरक्षक; थाना- [illegible] गेट, तहसील- कोल, जिला- अलीगढ़

3– कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक — बिना वन विभाग अलीगढ़ की अनुमति के पेट्रोल पम्प और [illegible] संचालन करना समय 11:30 AM दिनांक 7.09.2017

4– मूल्य

5– चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टीगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन

6– प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण, आदि का उल्लेख

संक्षेप– आज दिनांक 7.09.2017 को मैं समय 11:30 AM हमराह श्री आशीषकुमार वनरक्षक के साथ अलीगढ़-[illegible] मार्ग पर गश्त में जा रहे थे। तो देखा कि N.M.5 R.U. पट्टी पर [illegible] पेट्रोल पम्प स्थापित कर चालू कर लिया है। हम लोगों ने पेट्रोल पम्प स्थापित करने की विभागीय अनुमति [illegible] से पूछा तो आपने [illegible] में वर्ज अभियुक्त [illegible] सही उत्तर नहीं दे सका, ना ही कोई लिखित विभागीय दस्तावेज दिखाने में असमर्थ हुये। उक्त अभियुक्त ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 32(g), 32(k), 32(l) 33(c), 33(1H) एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 का उल्लंघन किया है।

अतः श्रीमान जी की सेवा में सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

साक्षी का नाम आशीषकुमार

प्रार्थी
[signature]
(रणवीरसिंह)
वनरक्षक
अलीगढ़-[illegible] मार्ग
[illegible]
अलीगढ़-रेंज
M-9411620265

[illegible] अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आ०का० हेतु प्रेषित।

[signature]
क्षेत्रीय वनाधिकारी
अलीगढ़ रेंज

[illegible] कृ०आ० [illegible]
[signature] 12/9/17

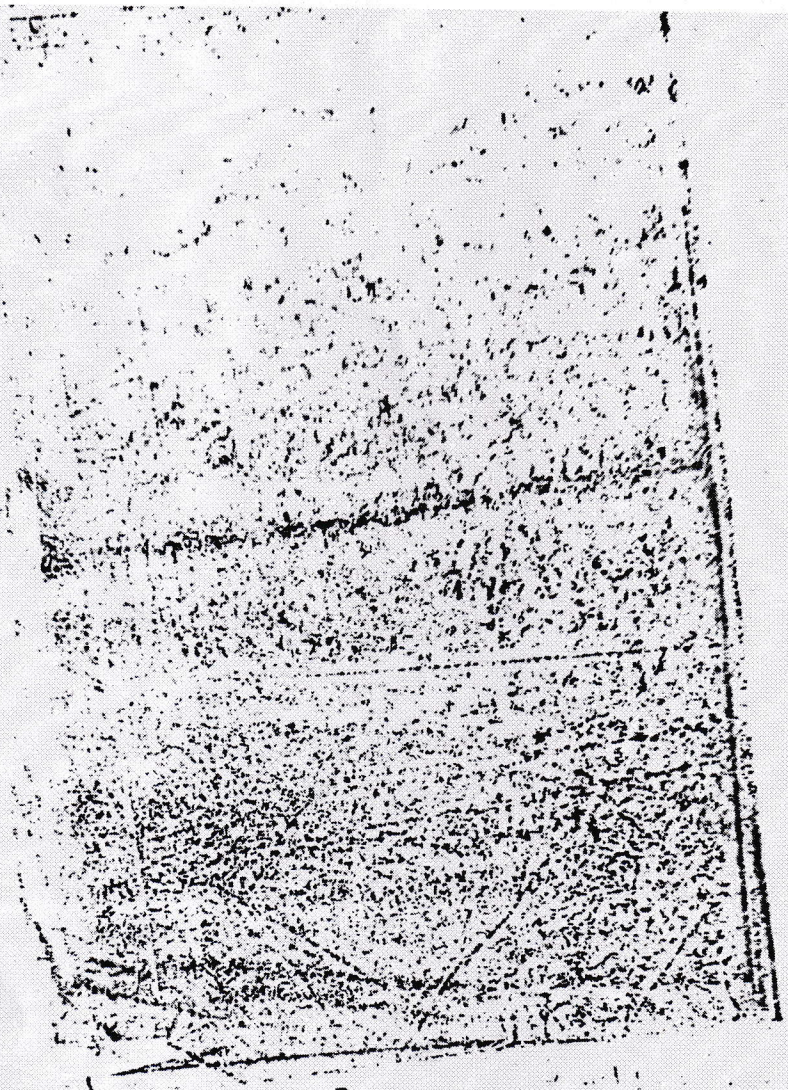

क्र०नि०के पत्रांक
-3 दि० 24/9/17
अमल में लाना
अपेक्षित

पत्रांक 854/35-3 दि० 12/9/17
क्षेत्रीय वनाधिकारी अलीगढ़

103/प्रभाग/17-18
23/अलीगढ़/17-18

केस रजिस्टर्ड कर वापस किया जाता है अन्तिम जाँच आख्या प्रस्तुत करें

12.9.17

Divisional Director
Social Forestry Division
ALIGARH

2370/18 संलग्नक-3(1)

राज्य – बनाम [illegible]
धारा 32(क) 32(ख)
33(ग) 33(घ)
वन अधि०
सोनभद्र

04/12[illegible]
पत्रावली पेश हुई अभि० [illegible] अभि० के विरुद्ध [illegible]
28/2/22 को पेश हो

CJM

28/2/22
पत्रावली पेश हुई अभि० [illegible] [illegible] [illegible]
12/3/22 को पेश हो CJM

12/3/22
पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई अभि० [illegible] न्यायालय में उपस्थित [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] अभि० को धारा 32(क) 32(ख) एवं 2 वन अधि० में 32(ग) 33(ख) 33(घ) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] दण्डित किया जाता है [illegible] [illegible] अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं है पत्रावली दाखिल अभिलेखागार हो।

C.J.M.

[illegible] उ० प्र० 15/3/2022

मिलान कर्ता - [illegible]

छायाप्रति प्रमाणित

[illegible] 10/3/2022

सम्भागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
[illegible]

संलग्नक-3(2)

Case No. 7370/18
State vs कंडीर
U/s 32 वन अधि०

(देने वाले के लिए)
N. साजिवनगर

पुस्तक-सं० रसीद-संख्या

0459841

से कंडीर रुपया

की धनराशि (रु० 1000/-) प्राप्त हुई।

सन् 2022 ई० 03 के दिवस को 12

दिनांकित।

(हस्ताक्षर) अध्यासीन पदाधिकारी

Chief Judicial Magistrate
Aligarh
12/3/22

छायाप्रति प्रमाणित

सहायक निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
अलीगढ़

अनुलग्नक-4

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के विषय में Penalty की प्रस्तावित गणना

इण्डियन ऑयल कार्पो0 लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़–मथुरा मार्ग (एस0एच0–80) किमी0 05 दांयी पटरी पर ग्राम दौलताबाद के खसरा सं0 30 में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली 0.07595 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रेषित प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भारत सरकार की पूर्वानुमति के कार्य पूर्ण कराकर, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया है। उल्लंघन के सम्बन्ध में भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक F.No. 11-42/2017-FC दिनांक 21.01.2018 द्वारा द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार निम्न प्रकार Penalty का प्राविधान किया गया है।

B. In cases where the proposal under FC Act is under consideration and forest land is diverted before grant of FC:

i- The penalty for violation shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by the inspecting officer with maximum upto five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest till the deposits is made.

ii- In case of public utility projects of the government, penalty shall be 20% of the penalty proposed in para (i) above.

1. प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रस्तावित एन0पी0वी0– प्रभावित वन भूमि (0.07595) X 9,57,780 =	72,743.00
2. प्रस्ताव के प्रकिया में होने के अन्तर्गत उल्लंघन किये जाने के कारण – 5 x 72,743 = (वर्ष 2013 से उल्लंघन हेतु– अधिकतम 5 गुना)	3,63,715.00
3. 12 प्रतिशत Simple Interest= 3,63,715 X 12% =	43,646.00
4. पांच वर्ष की एन0पी0वी0 पर एक वर्ष का ब्याज (43646/5) =	8729.00
5. नौ वर्ष की एन0पी0वी0 का ब्याज (8729 x 9) =	78,561.00
6. पांच वर्ष की एन0पी0वी0 आठ वर्ष की एन0पी0वी0 का ब्याज = (363715 + 78561)	4,42,276.00
7. Public Utility Project होने के कारण, कुल आगणित दण्डात्मक एन0पी0वी0 का 20 प्रतिशत =	**88,455.00**

(अठ्ठासी हजार चार सौ पचपन मात्र)

21/08/21

(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
अलीगढ़।